न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना.आई.ए.एस.

,अपील संख्या : 21/2018 एल.आर. एक्ट

आनन्द सिह पुत्र धौकल सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू राजस्थान।

अपीलान्ट्

बनाम

1. मु. मैन कंवर पत्नी लिछमण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू।
2. विजय सिह पुत्र लिछमण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू।
3. लीलू सिह पुत्र लिछमण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू जिला चूरू

5 बैक ऑफ बड़ोदा जरिये शाखा प्रबन्धक रतननगर तहसील व जिंला चूरू

रेस्पोडेन्टस

6	मदन कॅवर पत्नी धौकल सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू।	
7	सदा कॅवर पुत्री धौकल सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू।	
8	प्रेम कॅवर पुत्री धौकल सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू।	
9	बलवीर सिह पुत्र धौकल सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू।	आदेश दिनांक 14.8.19 द्वारा नाम हटाया गया
10	विक्रम सिह पुत्र धौकल सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू।	
11	मॅजू कॅवर पत्नी रणवीर सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू।	
12	विवेक पुत्र रणवीर सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू।	

गौण रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :– श्री रोशन अली – अभिभाषक अपीलांट्
श्री नरेन्द्रसिह राजपुरोहित – रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3
श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 31–10–2019

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 15–05–2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं गौण रेस्पोडेन्टस की कब्जा काश्त की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 201 व 215 वाके रोहि ग्राम श्यामपुरा तहसील चूरू में स्थित है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी सीव सरकाकर उनकी 3–4 बीधा भूमि अपने कब्जे मे ले रखी है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सीमाज्ञान व पत्थर गढी करने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।
3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बाद भी उपस्थित नही हुवे तथा बहस के दौरान रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिह राजपुरोहित उपस्थित नही आये।
4. अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि अपीलार्थी एवं गौण रेस्पोडेन्टस की कब्जा काश्त की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 201 व 215 वाके रोहि ग्राम श्यामपुरा तहसील चूरू में स्थित है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी सीव सरकाकर उनकी 3–4 बीधा भूमि अपने कब्जे मे ले रखी है। ऐसे में रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 183 के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी। धारा 111 व 128 काश्तकारी अधिनियम मे किसी प्रकार की कार्यवाही करने के अधिकारी नही है। अपीलार्थी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

व रेस्पोडेन्ट के खेत के मध्य पूर्व मे आपसी सहमति से करीब 20 वर्षो पूर्व पत्थर की पट्टीया लगाकर तारबन्दी की हुई है। हमारी 6 बीधा भूमि पहले से ही कम है। विभाजन का दावा उपखण्ड अधिकारी चूरू मे चल रहा है। दावे के निर्णय अनुसार आगे कार्यवाही हो जायेगी। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.5.17 को पत्रावली के सम्बन्ध मे जानकारी करने गया तो बताया गया कि अभी लोक अदालत के केम्प चल रहे है तारीख पेशीया तह कर रहे हे। तत्पश्चात दिनांक 29.1.18 को पत्रावली मे फैसला होना बताया गया। अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील स्वीकार करते हुवे उपखण्ड अधिकारी चूरू का आदेश दिनांक 15.5.17 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि इसी भूमि से संबधित एक दावा अलग से विचाराधीन होने के कारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 के तहत अलग से कार्यवाही नहीं हो सकती।

अपील पेश करने में हुये विलम्ब के बारें में बताये गये कारण संतोषजनक पाये जाने पर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। अपीलाधीन आदेश राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में भिन्नता की जानकारी होने पर किसी एक पक्षकार की दरख्वास्त पर सीमाज्ञान एव पत्थर गढी करवाने के लिये जारी किया गया है। भूमि के सीमा विवादों में रिकार्ड व मौके की स्थिति की पैमाइश करना तथा उक्त पैमाइश के आधार पर पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित करना भू अभिलेख अधिकारी का दायित्व है। यदि किसी पक्षकार की सीमांकन की कार्यवाही के दौरान आपत्ति हो तो सीमांकन करने वाले अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। इस आड़ में कार्यवाही शुरू करने की उसकी वैधानिकता को चुनौति नहीं दी जा सकती। सीमा विवाद

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तथा अतिक्रमण के मामलों के निस्तारण से पूर्व सीमांकन किया जाना आवश्यक है। यदि किसी पक्षकार के विरूद्व सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो भी सीमा ज्ञान तथा पत्थर गढ़ी की कार्यवाही को रोका जाना उचित नहीं है।

लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31--10--2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:53:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: